

# न्यायालय तहसीलदार/ नायब तहसीलदार बाड़ी

मु.नं. 80/2018

निर्णय दिनांक 25/11/2018

उनवान:- हल्का 693/56 स्त्रीराज

आज पत्रावली पेश हुई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी

हल्का स्त्रीराज ने इस आशय के साथ रिपोर्ट पेश की है कि आराजी

खसरा नम्बर 693/56 रकबा 1-00 बीघा किस्म चा.प.ग.ग.

बारे ग्राम कासगुडा पर स्त्रीराज पुत्र उज्ज्वल

जाति जा.ध. निवासी कासगुडा तहसील बाड़ी

ने सम्बर 20 मे रबी/खरीफ में फसल रूको कर

अतिक्रमण किया है। दर्ज रजिस्टर पर अतिक्रमी को नियमानुसार अधि 1956 की

धारा 91 एल. आर. एक्ट के तहत नोटिस जारी किया गया। अतिक्रमी र.घी. आया

पटवारी हल्का ने उपस्थित अतिक्रमण होना बताया।

अतिक्रमी स्त्रीराज पुत्र उज्ज्वल

जाति जा.ध. निवासी कासगुडा को आ. ख. नं. 693/56

रकबा 1-00 बीघा बारे ग्राम कासगुडा से तुरन्त प्रभाव से

बेदखसल किया जाता है तथा लगान का 50 गुना शास्ती राशि 225 कासगुडा (अक्षरे

रूपेय 225 कासगुडा आरोपित की जाती है। पैनल्टी वसूली एवं फसल नीलामी हेतु पटवारी

हल्का एवं भू. अभि. निको लिखा जावे ITRA को मतालवा कायम कराया जावे। इजराय पत्रावली पृथक से संधारित की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर है।

फैसला आल दिनांक 25/11/2018 को

खुले इजलास पढकर सुनाया गया।

225 - 4  
 पति राशि का अंकन  
 रजिस्ट्रार के दफ्तर में  
 की कय तारीख  
 दिनांक 24/11/18  
 तहसीलदार

राज  
 तहसीलदार  
 तहसील बाड़ी (बोलपुर) राज